निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टरएवं उपखण्ड अधिकारी(RAS) देवगढ़

केम्प पारडी

प्र.सं 26/2018 प्रा.पत्र निर्णय दिनांक 15.05.2018

अनवान

1. धर्मसिंह पिता दीपा दरोगा नि. भूरवाडा त. देवगढ़ जि.राजसमंद
2. नारायणसिंह पिता दीपा दरोगा नि. भूरवाडा त. देवगढ़ जि.राजसमंद
3. लक्ष्मणसिंह पिता दीपा दरोगा नि. भूरवाडा त. देवगढ़ जि.राजसमंद
4. देवा पिता रूपा दरोगा नि. भूरवाडा त. देवगढ़ जि.राजसमंद
5. धन्ना पिता रूपा दरोगा नि. भूरवाडा त. देवगढ़ जि.राजसमंद
6. केसी बेवा दीपा दरोगा नि. भूरवाडा त. देवगढ़ जि.राजसमंद
7. मोहनी बेवा केसु दरोगा नि. भूरवाडा त. देवगढ़ जि.राजसमंद
8. भेदीलाल कपुरचन्द प्रोपराईटर मैसर्स सिसोसेज प्राईवेट लि. नई दिल्ली, हाल नि. भूरवाडा त. देवगढ़ जि.राजसमंद
9. नाथी पिता रामा दरोगा नि. भूरवाडा त. देवगढ़ जि.राजसमंद
10. छोटी बेवा रामा दरोगा नि. भूरवाडा त. देवगढ़ जि.राजसमंद

.........प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार त.देवगढ़ जि. राजसमंद

............विपक्षी

वाद अर्न्तगत धारा 111–128 राज. ले. रे. एक्ट

पत्रवाली आज दिनांक 10.5.2018 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प पारडी में पेश हुई। पक्षकारण को जारी सम्मन तामील हो शामिल पत्रावली हैं। पक्षगण में से संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, व 10 उपस्थित रहे। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का आवलोकन किया विवरण इस प्रकार है।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भूरवाडा, प.ह. पारडी त.देवगढ़ में उसकी कृषि भूमि स्थित हैं। खाता सं. नया 34 व पुराना 56 में प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमियां कमशः आराजी सं. 233 रकबा 24 बीघा 04 बिस्वा व 255 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त वर्णित भूमि की प्रार्थी ने अभी तक पत्थरगढ़ी नहीं करवाई हैं। मौके पर पक्की पत्थर की दीवार अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से प्रार्थी व पड़ौसी के बीच सीमा सम्बंधी विवाद बना रहता है। हर समय फसल बवाई तथा कटाई के सीमा सम्बधित विवाद करते रहते हैं, जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमें बाजी के लिये विवश होना पड़ता हैं। मौके पर अशांति कायम रहती हैं। जिससे प्रार्थीगण उसकी भूमिका शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग काश्त वगैरह नहीं कर पा रहें है यदि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा

हमेशा के लिए समाधान हो जाऐगा तथा प्रार्थीगण उकसी भूमिका का शान्तिपूर्वक काश्त उपयोग उपभोग वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प पारडी में नियत कर। पक्षकारन को पुनः सूचना पत्र जारी किये गया । अन्य पक्षकारन अनुपस्थित रहें। यदि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की नपती पत्थरगढी हो जाती हैं तो इस समस्या का स्थाई समाधान हो जायेगा।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम भूरवाडा, प.ह. पारडी त.देवगढ़ की नकल जमाबंदी सं0 2068 से 2071 में प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार हैं। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि जो ग्राम भूरवाडा, प.ह. पारडी त.देवगढ़ में उसकी कृषि भूमि स्थित हैं। खाता सं. नया 34 व पुराना 56 में प्रार्थीगण के खातेदारी की **कृषि** भूमियां क्रमशः आराजी सं. 233 रकबा 24 बीघा 04 बिस्वा व 255 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे की प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित करा मौके पर पत्थरगढ़ी की जाकर रिपोर्ट पैश करें।

पत्रावली फैसल शुमार को नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक 15.5.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प पारडी में मजमे आम सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम कि जावें।

सहायक कलक्टर
देवगढ़ जिला राजसमंद

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला राजसमंद